राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :—523/2025

करूणा शर्मा

—अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं
पंचायतीराज विभाग, सचिवालय, जयपुर, राजस्थान एवं अन्य

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 17.01.2025
आदेश की दिनांक : 07.02.2025
उपस्थिति :—
अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप गर्सा, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : सुश्री राधिका महरवाल, अति.राजकीय अभिभाषक

समक्ष :— विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में कनिष्ठ सहायक के पद पर जिला परिषद कोटा में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक—1) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन/स्थानांतरण पंचायत समिति, खैराबाद में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण किये जाने में राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1994 की धारा 89(8)(ii) की पालना नहीं की गयी है, क्योंकि अपीलार्थी का स्थानान्तरण किये जाने से पूर्व सम्बन्धित ग्राम पंचायत के प्रधान से परामर्श नहीं लिया गया है। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानान्तरण नियम विरूद्ध तरीके से किया गया है।
3. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।
4. हम पाते हैं कि अपीलार्थी का स्थानांतरण जिला स्थापना समिति जिला परिषद की स्थायी बैठक आयोजित करके किया गया है, जो नियमानुसार किया गया है। अपीलार्थी वर्तमान में जिला परिषद कार्यालय में कार्यरत है, ऐसे में संबंधित

ग्राम पंचायत के प्रधान से सहमति प्राप्त करने का प्रश्न नहीं उठता है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह प्रशासनिक आवश्यकता में अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर लेना उचित समझता है। ऐसे प्रशासनिक आदेश में इस अधिकरण द्वारा हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

5. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील, मय स्थागन प्रर्थाना—पत्र पर खारिज की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
(अध्यक्ष)